कमिश्नर वाणिज्य कर, उार प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उार प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मोहम्मद अफरोज आलम पुत्र श्री गुलाम रव्वानी, नि0 हिन्दूपुरा खेडा, तहसील-सम्भल, मुरादाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**083 / 09, 26.08.2009**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री मोहम्मद अफरोज आलम पुत्र श्री गुलाम रव्वानी, नि0 हिन्दूपुरा खेड़ा, तहसील-सम्भल, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 26.08.2009 को उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र वर्ष 2005-06 व 2006-07 के लिए दाखिल किया गया, जिसमें निम्न प्रश्न पूछे गये :-

(क) क्या ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों द्वारा लोडिंग व अनलोडिंग का संव्यवहार प्रार्थी के अंश पर विक्रय या क्रय है ?

(ख) क्या ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा व्यापार कर अधिनियम की धारा-28 ख नियम-87 के प्राविधानों का उल्लंघन करने पर धारा-28 ख नियम-87 के प्राविधान प्रार्थी पर लागू होते हैं ?

(ग) क्या व्यापार कर अधिनियम की धारा-2 (b) के अन्तर्गत अतिरिक्त कमिश्नर व्यापार कर ग्रेड-2, (अपील) द्वारा दिया गया निर्णय आयुक्त व्यापार कर द्वारा दिया गया निर्णय माना जावेगा ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गई, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 07.08.2013 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 24.02.2010 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए जारी नोटिस दिनांक 20.01.2010 के प्रतिउार में एक लिखित प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया गया है, जो पत्रावली पर संलग्न है जिसमें गुण व दोष के आधार पर निर्णय देने का अनुरोध किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र वर्ष 2005-06 व 2006-07 से सम्बन्धित है, जिसमें वादों के निस्तारण की स्थिति के सन्दर्भ में उल्लेख नहीं है।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि वर्ष 2005-06 व 2006-07 के वाद दिनांक 31.03.2009 को कालवाधित हो चुके हैं और इन वर्षों के वादों का निस्तारण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 26.08.2009 से पूर्व हो चुका है। उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59(4) के प्राविधानों के अनुसार यदि आदेश पारित है तो धारा-59 के अन्तर्गत प्रश्न का विनिश्चय नहीं किया जा सकता। यही प्राविधान उार प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 (4) के अन्तर्गत भी प्राविधानित था। प्रार्थी का वर्ष 2005-06 व 2006-07 का कर निर्धारण आदेश पारित हो जाने के कारण, प्रार्थी द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर विनिश्चय, उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 / उार प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों तथा विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया।

<u>सर्वश्री मोहम्मद अफरोज आलम पुत्र श्री गुलाम रव्वानी / प्रा0 पत्र सं0-083 / 09 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

पाया गया कि वर्ष 2005-06 व 2006-07 के वाद दिनांक 31.03.2009 को कालवाधित हो चुके हैं और इन वर्षों के वादों का निस्तारण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 26.08.2009 से पूर्व हो चुका है। धारा-59 (4) के प्राविधानों के अनुसार यदि आदेश पारित है तो धारा-59 के अन्तर्गत प्रश्न का विनिश्चय नहीं किया जा सकता। यही प्राविधान उार प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 (4) के अन्तर्गत भी प्राविधानित था। प्रार्थी का वर्ष 2005-06 व 2006-07 का कर निर्धारण आदेश पारित हो जाने के कारण, प्रार्थी द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर विनिश्चय, उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 / उार प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र, उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 / व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 के प्राविधानों के अनुसार ग्राह्य न होने के कारण, अस्वीकार किया जाता है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उार उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 20 अगस्त, 2013

ह0 / 20.08.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उार प्रदेश, लखनऊ।